न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 16/2024

अनवान : –

1. भजनलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. इन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. कमलेश पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. पुष्पा पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4. बनारसी पत्नी रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
5. रेशमा पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
6. रामस्वरूप पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
7. लिछमा पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
8. शंकरलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
9. सुभाष पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
10. सीता पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
12. पंजीयक कार्यालय तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **सायल**
2. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 25/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोरह के खाता स0 70/70 की कुल 6.6670 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी क्रेतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोरह के खाता स0 70/70 की कुल 6[illegible] हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की [illegible] उक्त वाद भूमि की विशेष हिस्से को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 10:34:28 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी[illegible] संख्या 1, 3, 6 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थी संख्या 1, 6, 8 व 9 ने जवाब इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है लेकिन उत्तरदाता की बहनों के द्वारा उक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था अपने पिता के जीवन काल में ही त्याग कर दिया गया था अब इनका कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थी बहनों के नाम दर्ज भूमि को हड़पना चाहता है एवं झगड़ालु किस्म का व्यक्ति है। दावा व प्रार्थना पत्र दोनो ही चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोरह के खाता स0 70/70 की कुल 6.6670 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 25.01.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 10:34:28 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर